न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 69/2019 (57/2016)

GCMS NO. : 2016/00014

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. कानाराम पुत्र उमाराम 2. अबाराम पुत्र उमाराम जतियान सिरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण।		1. नारायण पुत्र उमाराम 2. जोराराम पुत्र उमाराम 3. रावतराम पुत्र उमाराम 4. जोगाराम पुत्र उमाराम 5. पुखाराम पुत्र उमाराम जतियान सिरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण। 6. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2. श्री नितेश चौहान, श्री सुरेश चौधरी, श्री अमित भण्डारी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 30/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 112–05 बीघा किस्म चाही सोयम व खसरा नम्बर 314 रकबा 08–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 316 रकबा 48–04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नमबर 325 रकबा 42–10 बीघा चाही सोयम, खसरा नम्बर 326 रकबा 1–01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 327 रकबा 0–10 बीघा गैर मुमकिन बेरा, कुल खसरा 06 कुल रकबा 213–02 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की राजस्व रेकर्ड में सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का सायलान एवं गैरसायलान अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त सम्पूर्ण आराजी में [illegible] का भी हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज [illegible] चले आ रहे है। तथा मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवारा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामिलात [illegible] आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

में सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 से 05 जो कि एक ही पिता उमाराम जी की संतान है जिनके मध्य दिनांक 09.12.2015 को आपसी सहमति से बंटवाडा खातेदारी भूमि का 100/- रूपये के स्टाम्प पर लिखकर अपने हस्ताक्षर कर उक्त आराजी का अपनी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया एवं भविष्य में इसी आपसी सहमति बंटवाड़ा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा कराने की रजामंदी की थी, उक्त आपसी सहमति से बंटवाडा के अनुसार सभी पक्षकारान ने अपना हक हिस्सा तय कर एवं यह भी शर्त अंकित कर दी कि ''भविष्य में उपरोक्त दोनों बेरो की जमीन का सहखातेदारों के मध्य जब भी बंटवाड़ा होगा तब हम पक्षकारान मौके पर अदला बदली का अथवा जमीन उपजाउ व कम उपजाउ का उजर नहीं करेगे एवं करेगें तो इस लिखत आपसी बंटवाड़ा से गलत माने जावेग''। इस प्रकार से आपसी सहमति से बंटवाडा होने के बाद सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 से 05 ने इसी आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा के अनुसार मौके पर भी आपसी हिस्से कर लिये एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर भी काबिज होकर काश्त करने लग गये। सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 से 05 द्वारा परिवार व गांव के मौजिज लोगों के साथ आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा सहमति से कर अपने हस्ताक्षर अंगुठा निशान कर दिये, तत्पश्चात गैरसायलान संख्या 01 से 05 की नियत में खोट आ गई, एवं इस आपसी सहमति के बंटवाडा को न मानते हुये खसरा नम्बर 327 रकबा 0-10 बीधा गैर मुमकिन बेरा की सम्पूर्ण आराजी पर अपने अकेले का ही कब्जा जमाने की कोशिश करते हुये वहां पर अपने मकान व बाड़े एवं चार दिवारी के निर्माण की धमकी सायलान को दे डाली एवं इस खसरे में सायलान को एक इंच भी जमीन नहीं देने की जिद्द करने लग गये। जबकि गैरसायलान संख्या 01 से 05 को उक्त आराजी में अकेले का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है सभी खातेदारों का इस आराजी में हक व अधिकार है। इतना ही नहीं गैरसायलान संख्या 01 से 05 ने खसरा नम्बर 327 के अलावा भी अन्य खसरा नम्बरान की जमीनों में भी मौके पर जमीन लेने की नापाक कोशिश करने लग गये, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड वाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही हो रखा है। जिससे सायलान को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें सायलान अपनी आराजी में बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारो तरफ तारबन्दी करने, खाद-बीज मिट्टी डालने में सायलान को अनेको परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन परेशानीयो से बचने के लिये कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाडा बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायलान का अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा-काश्त है। परन्तु गैरसायलान संख्या 01 से 05 सायलान को मौके से बेदखल कर सायलान की बेसकीमती आराजी को हडप करना चाहते [illegible] सायलान के खसरा नम्बर 327 की आराजी मे उसके हक हिस्से में [illegible] जबरन निर्माण कार्य करने पर आमादा है एवं सायलान को [illegible] की आराजी में से मौके से बेदखल करने को भी आमादा है एवं [illegible] खसरा नम्बरान की आराजी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है, आये दिन सायलान के हक हिस्से की भूमि पर व सायलान के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी गैरसायलान संख्या 01 से 05 कर रहे है। तथा सायलान की आराजी में कब्जा करने पर उतारू है। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायलान को मौके से बेदखल कर भूमि अजनबी क्रेता को बेचान कर देते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी एवं सायलान अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम हो जायेगा। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 25-03-2016 को गैरसायलान संख्या 01 से 05 नें सायलान के हक हिस्से की भूमि में पत्थर मिट्टी डालना शुरू कर दिया एवं सायलान के हक हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य करने को अमादा हो गये जिसका सायलान ने विरोध किया एवं कहा कि आपसी लिखत सहमति बंटवाड़ा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा करवा ले तब गैरसायलान संख्या 01 से 05 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये तब सायलान ने गैरसायलान संख्या 01 से 05 को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, जिस तरह पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा है, उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर ही आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर लेवे परन्तु गैरसायलान संख्या 01 से 05 सभी इन्कार हो गये एवं सायलान को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बदेखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेगें। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी, तथा सायलान के हक हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा नम्बर 327 में यदि गैरसायलान संख्या 01 से 05 जबरदस्ती किसी प्रकार से जबरदस्ती कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करते है तो सायलान हमेशा के लिए अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगें तथा कृषि के रूप में उपयोग आ रही जमीन पर यदि किसी तरह की सम्पूर्ण आराजी मे गैरसायलान निर्माण कार्य करते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही है इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है तब ऐसी परिस्थिति में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय [illegible] विरूद्ध गैरसायलान इस आश्य की जारी की जावे प्रार्थना पत्र के [illegible] वर्णित आराजी जो कि सरहद आगेवा पटवार हल्का आगेवा में [illegible] की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]298 रकबा 112-05 बीघा किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

चाही सोयम व खसरा नम्बर 314 रकबा 08-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 316 रकबा 48-04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नमबर 325 रकबा 42-10 बीघा चाही सोयम, खसरा नम्बर 326 रकबा 1-01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 327 रकबा 0-10 बीघा गैर मुमकिन बेरा, कुल खसरा 06 कुल रकबा 213-02 बीघा में सायलान के हक हिस्से वर्णित आराजी में सायलान माफिक अपने हक हिस्से की आराजी मे काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई, कटाई करे तो उसमें गैरसायलान उनके हाली, एजेन्ट, नौकर-चाकर इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी हस्तक्षेप बाधा व अडचन पैदा नही करें तथा सायलान व गैरसायलान के बीच में जो आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा है उसके अनुसार मौके पर काबिज है जब तक कानूनन बाई मिट्स एवं बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता है तब गैरसायलान उस आपसी सहमति के बंटवाड़ा के अनुसार ही कायम रहे एवं खसरा नम्बर 327 रकबा 0-10 बीघा में गैरसायलान किसी तरह से कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा नही उक्त खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण आराजी में कोई मकान व बाड़ा एवं चार दिवारी का निमार्ण कार्य नही करे, जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलन संख्या 01,03 व 05 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार भूमि स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित अनुसार भूमि शामलाति होने एवं इसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं होने के कथन भी सही होने से स्वीकार है। आपसी सहमति से इस पद में जिस बंटवाड़ा का उल्लेख किया गया है, इस प्रकार का कोई बंटवाड़ा खातेदारों के मध्य नहीं हो रखा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है जिस तथाकथित लिखत दिनांक 09.12.2015 का उल्लेख किया गया है इस प्रकार की कोई लिखत जबाब देहन्दागण की स्वतंत्र सहमति से निष्पादित नहीं हुई थी। न ही इस लिखत बंटवाड़ा पत्र दिनांक 09.12.2015 की कोई कानूनी ग्राहयता ही है। उक्त लिखत बंटवाड़ा पंजीबद्ध नहीं होने से रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों अनुसार साक्ष्य में भी ग्राहय नहीं है। उसके बावजूद भी यदि प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के प्रत्येक खसरा अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो इसमें जबाब देहन्दागण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है । लेकिन सायलान स्वयं इस प्रकार का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा क[illegible] सहमत नहीं हुये है एवं जबाब देहन्दागण पर झूठे आरोप लगाये [illegible] है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अ[illegible] के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अ[illegible]कार है। इस प्रार्थना पत्र व इस पद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

में वर्णित जिस बंटवाड़ानामा दिनांक 09.12.2015 का उल्लेख किया गया है इस प्रकार के कोई बंटवाड़ानामा का लिखत जबाब देहन्दागण की स्वतंत्र सहमति से नही हुआ है एवं न ही इस लिखत बंटवाड़ानामा की कोई कानूनी ग्राहयता ही है। खसरा नम्बर 327 के बाबत भी झूठा आरोप लगाया गया है। इस खसरा नम्बर 327 की जमीन में सायलान कानाराम व अबाराम ने अपने मकान बना लिये है। जबकि गैरसायलान जबाब देहन्दागण के प्लॉट मौके पर खाली पड़े है। इस प्रकार से उक्त जबाबदेहन्दागण के हिस्से में आये खाली स्थल पर जबाब देहन्दागण को अपने आवास व रहवास बनाने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। एवं जबाब देहन्दागण द्वारा की जाने वाली उक्त निमार्ण की कार्यवाही कृषि भूमि के इम्प्रूवमेंट की तारीफ में आती है जिसमें हस्तक्षेप व अड़चन डालने का सायलान को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। सायलान का मौके पर जो निमार्ण कार्य करवाया गया है उसके फोटो ग्राफ इस जबाब के साथ पेश है। पूर्व में सायलान स्वयं ने अपने आवास व रहवास बना लिये है एवं अब जबाब देहन्दांगण द्वारा मकान निमार्ण की कार्यवाही शुरू करने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है मौके पर जबाब देहन्दागण की निमार्ण सामग्री भी पड़ी है इस प्रकार से खसरा नम्बर 327 की भूमि पर सायलान एवं गैरसायलान सभी स्वामित्व व हक व अधिकार प्राप्त है। साथ ही इस खसरा नम्बर 327 के अलावा दिगर खसरा नम्बरान की भूमि पर भी जबाब देहन्दागण को हक व अधिकार पुश्तैनी अधिकारों के माफिक प्राप्त है। तथा उसमें बाध व अड़चन डालने का सायलान को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त भूमि का हिस्से माफिक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाता है तो जबाब देहन्दागण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। जबाब देहन्दागण ने सायलान के कब्जा काश्त में कभी कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी पैदा नही की है। बल्कि मौके पर सायलान व जबाब देहन्दागण की सभी की जमीन स्थित है। सायलान ने पूर्व में ही खसरा नम्बर 327 में से अपने हिस्से में आई भूमि पर भवन का निमार्ण कर लिया है। जिसे किसी के द्वारा बेदखल नहीं किया जा रहा है। मौके पर जमीन के कब्जे व नाप चौप को लेकर जबाब देहन्दागण द्वारा कोई एतराज नहीं किया जा रहा है बल्कि सायलान ही विवाद कर रहे है एवं अनावश्यक पेचीदगियां पैदा कर रहे है। भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान कर देने के कथन भी मिथ्या है। मौके पर हक हिस्से के माफिक जबाबदेहन्दागण का खसरा नम्बर 314, 316, 325, 326 व 327 की भूमियों पर भी हक व हिस्सा अधिकार है जिससे सायलान जबाव देहन्द्रागण को बेकाबिज करना चाहते है जो कतई गलत है बल्कि इन उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर जबाब देहन्दागण को भी हक व अधिकार प्राप्त है। जबाब देहन्दागण इन उपर वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में भी अपना हक हिस्सा मौके पर कब्जे अनुसार काबिज काश्त के अधिकारी है। भूमि के नाप चौप व बंटवाड़ा को लेकर भी किसी प्रकार का कोई विवाद नही हुआ है इसलिए सायलान को किसी प्रकार की क्षति होने के कथन भी झूठे है। सायलान जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

देहन्दागण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन असत्य होने से 6 अस्वीकार है। दिनाक 25.03.2016 को मौके पर विवाद होने एवं जबाब देहन्दागण द्वारा मिट्टी डाल देने के कथन भी झूठे है इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों पर प्रत्येक खसरा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करे आ रहे है। जबकि सायलान विशिष्ट भू–भाग को अपने हिस्से में रखना चाह रहे है जो कतई गलत है। सायलान ने विशिष्ट भू–भाग प्राप्त करने की नियत से ही ऐसे ही पूर्व में विवाद किया था एवं तत्पश्चात यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि सम्पूर्ण भूमियों में जबाब देहन्दागण का भी हक हिस्सा होने से सायलान को कतई विशिष्ट भू–भाग नहीं दिया जा सकता है लिखत सहमति बंटवाड़ा की विधिक प्रावधानों अनुसार कोई ग्राहयता नही है। खसरा नम्बर 327 की भूमि में भी सायलान के पक्के मकान बने हुये है जिससे उन्हे इस भूमि में प्रवेश नहीं करने देने के आरोप भी मिथ्या है। सायलान मनमाफीक अपना विशिष्ट भू भाग चाह रहे है जो गलत है सायलान गैरसायलान को खसरा नम्बर 314, 316, 325, 326, 327 की भूमियों में कोई हक व हिस्सा नहीं देना चाहते है जबकि गैरसायलान का भी इन उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों में भी हक हिस्सा प्राप्त है। जिसका उपयोग उपभोग जबाब देहन्दागण द्वारा किये जाने की सूरत में सायलान उसमें बाधा व अड़न पैदा कर रहे है जो कतई गलत है इन भूमियों को लेकर मौके पर कोई विवाद नहीं हुआ है न ही कोई अन्देशा ही है। इसलिए भी सायलान का यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद है जबाब देहन्दागण इस भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध सायलान को किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मौके पर न तो किसी प्रकार से कोई विवाद हुआ है न ही भविष्य में होने का अन्देशा है इसलिए वाद बाहूल्यता होने के कथन गलत है। सायलान अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि के बाबत हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। यदि इस प्रकरण में किसी प्रकार से कोई स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को नहीं होकर के गैरसायलान को होगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी गैरसायलान के पक्ष में है सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** [illegible] व हस्तगत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट [illegible] द्वारा वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा खसरा नम्बर 298 रकबा [illegible] 12–05 बीघा किस्म चाही सोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

व खसरा नम्बर 314 रकबा 08-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 316 रकबा 48-04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नमबर 325 रकबा 42-10 बीघा चाही सोयम, खसरा नम्बर 326 रकबा 1-01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 327 रकबा 0-10 बीघा गैर मुमकिन बेरा के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी संवत् 2069-72 ग्राम आगेवा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह-खातेदारी की शामलाती आराजी है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अविभाजित संयुक्त सह-खातेदारी की आराजी के संबंध में प्रत्येक सह-खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी खातेदार को अन्य खातेदार से विशिष्ट एवं अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। ऐसे मामलों में बंटवाड़ा ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण/सायलान के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण/सायलान के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सह-खातेदारी की अविभाजित आराजी है। उक्त स्थिति में प्रत्येक सह-खातेदार का अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके हक में निहित होना माना जाता है। प्रार्थीगण/सायलान यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण/सायलान के पक्ष में ही निहित है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण/सायलान के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह-खातेदारी आराजी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण/सायलान व अप्रार्थीगण/गैरसायलान वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। किसी अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ेगा, जिससे निश्चित ही उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण/सायलान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि अपूरणीय क्षति का बिंदू उनके पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण/सायलान के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के [illegible] पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/[illegible] बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/सायलान धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested